

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक ०2 दिसम्बर, 2021

विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस०एच०-80) किमी० 26.320 की दायीं पटरी पर ग्राम बिसावली के खसरा संख्या-537 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/Others/13877/2015)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी०/06/40/2017/एफ०सी०/1194, दिनांक 28.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1518/11-सी-एफपी/यूपी/Others/13877/2015, दिनांक 16.11.2021 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचनाएं शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 16.11.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रतर एवं आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,



(आशीष तिवारी)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(आर०पी०सिंह)

अनु सचिव